# वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत समग्र गव्य विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका

## मार्ग निर्देशिका

1. **योजना का नाम :** समग्र गव्य विकास योजना

2. **योजना का उद्देश्य :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्व–रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें विकास के मुख्यधारा में शामिल करना है ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान हो सके एवं राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।

   इस योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के 02 एवं 04 दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है तथा 15 एवं 20 दुधारू मवेशी/बाछी– हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर सभी वर्गों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

3. **कार्यक्षेत्र :** राज्य के सभी जिले में।

4. **पात्रता :** राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन/कृषकों/लघु कृषक/सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को शामिल किया जायेगा।

5. **योजना का क्रियान्वयन :** योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।

6. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/ सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस योजना के आवेदन पत्र गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन भरे जायेंगें। इस योजनान्तर्गत पिछले तीनों वर्षो में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से वैसे आवेदक जिन्हें योजना का लाभ प्राप्त नही हो सका है वैसे आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दी जायेगी।

7. इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य निम्न होंगे :–

   - जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी–सदस्य सचिव
   - उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य

8. स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण आवेदन को स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्त्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा जिला गव्य विकास कार्यालय को सूची के साथ सूचना उपलब्ध करायेंगे।

9. योजना अन्तर्गत 15 एवं 20 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई हेतु प्राप्त आवेदनों का स्क्रीनिंग जिला स्तर पर की जायेगी। स्क्रीनिंग समिति से अनुशंसित आवेदनों को जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन गव्य विकास निदेशालय उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक(गव्य) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृति दी जायेगी। स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा।

10. स्वीकृत डेयरी इकाई अन्तर्गत दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर का क्रय लाभुकों द्वारा अधिकृत पशु आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये दुधारू मवेशियों/बाछी–हिफर में से, गठित क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। पशुपालक राज्य के बाहर से भी पशु का क्रय निर्धारित आपूर्त्तिकर्त्ता से कर सकते हैं।

11. दुधारू मवेशियों का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। स्वलागत की स्थिति में बैंक के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि को छोड़कर समिति में जिला गव्य विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे।

12. योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी सब्सिडी का भुगतान परियोजना शर्त्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं करना होगा। लाभूकों द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत आंशिक रूप में किये जाने की स्थिति में सब्सिडी का भुगतान भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही सब्सिडी का वितरण Back ended होगी एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

13. स्वालागत के लाभूकों द्वारा योजना स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर तथा बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् मवेशी क्रय (Asset creation) के बाद निर्धारित नियम के अनुसार सब्सिडी की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्र आवेदक के ऋण खाता संख्या एवं उसके खाते में Disburse की गई राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिले के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाण–पत्र अंकित करते हुए सब्सिडी विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

14. इस योजना के तहत लाभूकों के चयन में विभाग द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों, दुग्ध सहकारिता समिति के सदस्यों एवं जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

15. इस योजना के लाभूकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

16. इस योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी लाभूकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभूक बैंक से ऋण ले अथवा स्वलागत से क्रय करें। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभूकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी यथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन (Asset creation) के पश्चात् ही सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जायेगा। पशु क्रय के पश्चात लाभूक एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटाग्राफी किया जायेगा। दुधारू मवेशी के क्रय के पश्चात मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगाना होगा तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि मवेशी में ईयर टैग लगा दिया गया है।

17. स्वलागत में उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर का क्रय एक ही बार अथवा फेजवार करने के लिए लाभुक स्वयं स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ बैंक से स्वीकृत योजना में भी लाभूकों को स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे एकबार में पूरी योजना का लाभ लेंगे अथवा किस्तवार।

18. इस योजना के तहत 04 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की इकाई की स्थापना हेतु कम से कम 15 (पन्द्रह) डिसमिल तथा 15 एवं 20 उन्न्त नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की इकाई की स्थापना हेतु कम से कम 30 (तीस) डिसमिल अपनी जमीन या लीज की जमीन हो ताकि वे हरा चारा का उत्पादन कर सकें।

निदेशक
**गव्य विकास निदेशालय**
बिहार, पटना